संख्या-29 /2018/ 1493/ सत्रह-म-2018-6-9(333)/2016टी0सी0

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 13 नवम्बर, 2018

विषय - भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश रू01760.85 लाख में से भारत सरकार द्वारा पुनर्वैध की गयी अप्रयुक्त/अवशेष केन्द्रांश धनराशि रू0 86.85 लाख के सापेक्ष षष्ठम किश्त के रूप में धनराशि रू0 39.97139 लाख (केन्द्रांश रू0 25.47610 लाख एवं मैंचिंग राज्यांश रू0 14.49529 लाख) की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-553 /नि0शा0, दिनांक 03.10.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में ब्लू रिवोल्यूशन:इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश रू01760.85 लाख में से वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय किये जाने हेतु पुनर्वैध की गयी अप्रयुक्त धनराशि रू0 86.85 लाख में से अवशेष केन्द्रांश धनराशि रू0 38.78421 लाख के सापेक्ष षष्ठम किश्त के रूप में धनराशि रू0 39.97139 लाख (केन्द्रांश रू0 25.47610 लाख एवं राज्यांश रू0 14.49529 लाख) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अवगत कराना है कि ब्लू रिवोल्यूशन योजना हेतु आय-व्ययक 2018-19 में धनराशि रू0 2000.00 लाख का बजट प्राविधानित किया गया है। अत: वर्ष 2016-17 में ब्लू रिवोल्यूशन:इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना हेतु अवमुक्त केन्द्रांश रू01760.85 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा पुनर्वैध की गयी अप्रयुक्त धनराशि में से अवशेष केन्द्रांश धनराशि रू0 38.78421 लाख के सापेक्ष संलग्न तालिका में उल्लिखित परियोजनाओं हेतु कुल रू0 39.97139 लाख (उन्तालिस लाख सतान्नबे हजार एक सौ उन्तालिस मात्र) जिसमें केन्द्रांश रू0 25.47610 लाख एवं मैंचिंग राज्यांश रू0 14.49529 लाख की धनराशि सम्मिलित है, की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन:इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश संख्या-20/2016/2362 /सत्रह-म-2016-6-9(333)/2016दिनांक24

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

दिसम्बर,2016 द्वारा निर्गत मार्ग-निर्देश/गाइड लाइन्स एवं शासनादेश संख्या-2/2018 /2236/ सत्रह-म-2018-6-9(333)/2016 दिनांक 23 जनवरी,2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग निदेश में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर यदि ऐसे खाते में जमा किया जाता है जिस पर ब्याज अर्जित होता है,तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का उत्तरदायित्व निदेशक मत्स्य का होगा।

(3) निर्माण कार्यो के सम्बध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री/उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30 मार्च,2018 व शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16-94 दि0 06 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) धनराशि का आवंटन/एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(10) स्वीकृतियॉ जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/कार्यक्रम में इस मद में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं हुई है ।

4- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-17 के लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-ब्लू रिवोल्यूशन:इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना(राज्यांश),20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैरवतन) मद के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2018/बी-1-438/दस-2018-231/2018 दिनांक 24 अप्रैल, 2018 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव)

संख्या- 29 /2018/1493(1)/ सत्रह-म-2018 तददिनांक-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन लखनऊ।
4- सम्बंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी,मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- उप निदेशक मत्स्य(नियो0) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियो0 अनुभाग-3 ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या - 29/2018/ 1493/ सत्रह-म-2018-6-9(333)/2016 दिनांक 13 नवम्बर, 2018 का संलग्नक

तालिका

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	परियोजना का नाम	लक्ष्य (क्षे0हे0में)	परियोजना लागत	भारत सरकार द्वारा पुनर्वैध किया गया केन्द्रांश	षष्ठम किश्त के रूप में निर्गत होने वाली प्रस्तावित धनराशि			अभ्युक्ति
					केन्दांश	राज्यांश	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नये तालाबों का निर्माण	22(हे0)	154.0	2.98346	1.89633	0.94817	2.84450	मत्स्य निदेशालय के पत्रांक 553/नि0शा0 दिनांक 03.10.2018 द्वारा संलग्नक-1 के रूप में उपलबध कराये गये जनपदवार फांट/विवरण के अनुसार
2	मत्स्य पालन हेतु इनपुट कास्ट	347(हे0)	520.5	7.65473	7.37589	3.68794	11.06383	
क	नये तालाबों में निवेश	22(हे0)		0.78300	0.58741	0.29371	0.88112	
ख	सुधारे गये तालाबों में निवेश	325(हे0)		6.87173	6.78848	3.39423	10.18271	
3	तालाब सुधार	325(हे0)	1137.5	12.68940	12.68940	6.34470	19.03410	
4	प्रशासनिक व्यय	-	47.38	3.51448	3.51448	3.51448	7.02896	निदेशालय स्तर से धनराशि आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।
	योग-				**25.47610**	**14.49529**	**39.97139**	

(कुल धनराशि रू0 उन्तालिस लाख सन्तान्बे हजार एक सौ उन्तालिस मात्र)

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव)

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।